न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड

प्रार्थना पत्र स0:–19/2024 पीठासीन अधिकारी–ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

राज्य सरकार जरिये, अमित कुमार यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, पावटा

––प्रार्थी

बनाम

ओमप्रकाश स्वामी पुत्र श्री भरतमल स्वामी मैसर्स स्वामी मिष्टान्न भण्डार, सुभाष चौक, पावटा मोबाइल में 9928006871

––अप्रार्थी

विषय– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर जब्तशुदा एल.पी.जी. गैस सिलण्डरों मय एल.पी.जी. गैस को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात कराने बाबत्।

निर्णय

दिनांक 4/12/25

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी प्रवर्तन निरीक्षक पावटा, श्री अमित कुमार यादव द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि दिनांक 26.09.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व रिफिलिंग की कार्यवाही के संबंध में मैं अमित कुमार यादव, प्रवर्तन निरीक्षक व हमराह श्री संदीप माथुर, (जिला रसद अधिकारी), श्री विजयपाल यादव (प्रवर्तन निरीक्षक) व श्री विश्राम गुर्जर, (प्रवर्तन निरीक्षक) द्वारा आकास्मिक निरीक्षक के दौरान मैसर्स स्वामी मिष्टान्न भण्डार, सुभाष चौक, पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड़ की जांच की गई। मौके पर श्री ओमप्रकाश स्वामी पुत्र श्री भरतमल स्वामी उपस्थित मिले। मौके पर उक्त प्रतिष्ठान पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) को रेगुलेटर एवं गैस नलिका के माध्यम से जोडकर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था, जिनके संबंध में दस्तावेज मांगने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, तथा ना ही कोई स्पष्ट जवाब दिया गया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मैसर्स स्वामी मिष्टान्न भण्डार, सुभाष चौक, पावटा द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके पर गैस का दुरूपयोग बन्द करवाकर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन करने पर श्री ओमप्रकाश स्वामी पुत्र श्री भरतमल स्वामी की उपस्थिति में पावटा इण्डेन ग्रामीण गैस एजेन्सी पावटा के प्रतिनिधि (मैनेजर) श्री सुनिल सिंह शेखावत पुत्र श्री सवाई सिंह शेखावत से प्रमाणित कांटे से तौल करवाकर वजह सबूत कब्जे राज लिया गया। जब्त किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर एवं उसमें संगृहित गैस का विवरण निम्नानुसार है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

क्र. स.	एस.आर.न.	कम्पनी का नाम	भरे हुए सिलेण्डर का वनज (किग्रा.)	खाली सिलेण्डर का वजन (किग्रा)	शुद्व गैस (किग्रा.) (कॉलम 4–5)	अन्य जब्त सामग्री
1	2	3	4	5	6	7
2	742079S	HP	20.900	15.9	5.0	–

उक्त जब्ज सामग्री (01 सिलेण्डर, घरेलू (14.2) किग्रा क्षमता) कब्जे राज को प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक पावटा इण्डेन ग्रामीण गैस एजेन्सी पावटा के प्रतिनिधि (मैनेजर) श्री सुनिल सिंह शेखावत पुत्र श्री सवाई सिंह शेखावत को ठीक हालत में रखने व सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी दी गई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त 01 घेरलू सिलेण्डर (14.2) किग्रा. को राजसात कराने का श्रम करावें।

1. प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैराकार ने जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धार–6ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान किये गये। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया । अप्रार्थी को जवाव हेतु अनेक अवसर दिये जाने के वाद भी जवाव पेश नहीं किया गया ना ही न्यायालय में उपस्थित आया इसलिए अप्रार्थी का जबाब वंद कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
2. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार रसद की वहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी सरकार पैरोकार के आरोप अनुसार ओम प्रकाश स्वामी पुत्र श्री भरतमल स्वामी मैसर्स स्वामी मिष्ठान्न भण्डार, सुभाष चौक, पावटा द्वारा एल.पी.जी. घेरलू सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लघंन किया किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। अप्रार्थी की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह सावित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो एवं अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुआ। फलस्वरूप जब्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किया जाना उचित समझते है।
4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 01 घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा.) सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–वहरोड़ को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोश के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
5. निर्णय प्रति जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–वहरोड़ को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्वर से कम हों।
6. निर्णय आज दिनांक 4/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)